110

न्यायालय श्रीमान् म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

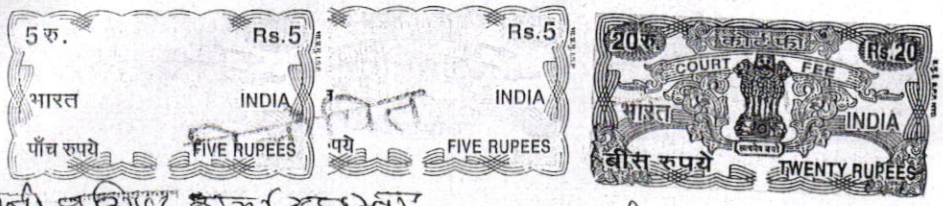

1— अरविन्द कुमार तनय केशव प्रसाद

2— केशव प्रसाद तनय दधिबल

दोनो निवासीगण ग्राम देउरा, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

——————निगरानीकर्तागण

बनाम

1— छोटेलाल तनय दधिबल पटेल

2— मूलचन्द्र तनय दधिबल पटेल

दोनो निवासीगण ग्राम देउरा, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

——————प्रत्यर्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क0—468/अपील/14—15 में पारित आदेश दिनांक 02/07/16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :—

1— यह कि ग्राम देउरा, पटवारी हल्का देउरा, राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी, तहसील हनुमना, अंतर्गत स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क0—1342/2, 1547/1, 1553, 1600/1, 2392 कुल किता 05 को पूर्व भूमिस्वामी दधिवल पटेल से निगरानीकर्तागण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया गया था तथा उसी आधार पर तहसीलदार हनुमना, द्वारा दिनांक 26/06/13 को प्रश्नाधीन भूमियों का नामांतरण विक्रेता पूर्व भूमिस्वामी के स्थान पर निगरानीकर्तागण के पक्ष में स्वीकृत व प्रमाणित किया था, जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थीगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3124–दो/2016 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–10–16	1/ प्रकरण प्रस्तुत । 2/ निगरानीकर्तागण के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। विद्वान अभिभाषक के तर्क समक्ष में सुना गया तथा प्रकरण एवं संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया । 3/ निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत अपर कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा के प्र0 क्र0 468/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 4/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम देवरा, पटवारी हलका देवरा, राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी तहसील हनुमना, जिला–रीवा की भूमि–खसरा क्रमांक 1342/02, 1547/01, 1553, 1600/01 तथा 2392 कुल 5 किता निगरानीकर्तागण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र पूर्व भूमि स्वामी दधिवत पटेल से क्रय किया । क्रय की गई उक्त विवादित भूमि का नामांतरण तहसीलदार, तहसील हनुमना, जिला–रीवा जरिये प्र0क्र0 24/अ–6/2011–12 आदेश दिनांक 26.06.2013 द्वारा नामांतरण आदेश निगरानीकर्ता के पक्ष में पारित किया गया । उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्ध गैर–निगरानीकर्तागण द्वारा अनुविभगीय	

अधिकारी, तहसील–हनुमना, जिला–रीवा के न्यायालय में अपील क्रमांक 64/अ–6/2012–13 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 09.04.2015 द्वारा तहसीलदार हनुमना का नामांतरण आदेश दिनांक 26.06.2016 निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, तहसील–हनुमना के आदेश दिनांक 09.04.15 के विरूद्ध द्वितीय अपील निगरानीकर्तागण अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिसमें प्र0क्र0469/अपील/2014–15 आदेश दिनांक 02.07.16 द्वारा निगरानीकर्तागण की अपील निरस्त कर दी गई । इसी आदेश से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

5/ निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी का मुख्य आधार यह बताया है कि विवादित भूमियां निगरानीकर्तागण द्वारा भू–स्वामी से विधिवत जरिये विक्रय पत्र क्रय किया तथा विधि अनुसार ही तहसीलदार, तहसील–हनुमना द्वारा नामांतरण आदेश दिनांक 12.06.13 पारित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी, तहसील–हनुमना के समक्ष इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई थी, कि विवादित भूमियों के संबंध में व्यवहार वाद विचाराधीन है । ऐसी स्थित में निगरानीकर्तागण के पक्ष किया गया नामांतरण आदेश निरस्त योग्य है ।

यह भी बताया गया कि व्यवहार वाद लम्बित की दशा में अपनाई गई सम्पूर्ण सुनवाई प्रक्रिया पर व्यवहार न्यायालय का विधिक अधिकार प्राप्त है । व्यवहार वाद लम्बन अवधि में भूमियों का विक्रय उचित था या नहीं? निस्पादित कराये गये विक्रय–पत्र का

प्रभाव क्या है? तथा किसी व्यक्ति का स्वत्व आधिपत्य व विभाजन की विधिक स्थिति क्या है ? उक्त सम्पूर्ण बिन्दुओं को निराकृत किये जाने की अधिकारिता सिर्फ व्यवहार न्यायालय को है तथा किसी भी राजस्व न्यायालय को व्यवहार वाद की प्रक्रिया के संरक्षा का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर विचार तथा संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया। स्वीकृत तथ्य यह है कि विवादित भूमियों के संबंध में गैर–निगरानीकर्तागण द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 99/ए/12 प्रस्तुत किया गया था तथा भूमि विक्रय एवं अंतरण पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 प्रस्तुत किया गया था, जिसे माननीय व्यवहार वाद न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था । तत्पश्चात भूमि स्वामी द्वारा विवादित भूमि विक्रय की गई थी, जिसके जरिये रजिस्टर्ड निगरानीकर्तागण द्वारा भूमि क्रय की गई थी, जिसका नामांतरण तहसीलदार, तहसील–हनुमना द्वारा किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, तहसील–हनुमना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.16 में उठाये गये तथ्य के संबंध में अधिकारिता माननीय व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है । रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के वैधानिकता के परीक्षण तथा व्यवहार वाद विचारण काल में निष्पादन क्रय–विक्रय के स्वयंव्यवहार के संबंध में अधिकारिता राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है । अनुविभागीय अइधिकारी तथा अपर कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा द्वारा

पारित आदेश उनके आधिकारिता विहीन है ।

7/ अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी हनुमना का आदेश दिनांक 09.041.15 तथा अपर कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 02.07.16 अधिकारिता विहीन होने से निरस्त किया जाता है । निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है ।

8/ आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे । प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दाखिल अभिलेखागार हो।

सदस्य